



EAST COAST RAILWAY

मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Chief Personnel Officer
द्वितीय तल, - 751 017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751 017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No. 143/2018
पूतरे/कार्मिक/आर/ECOR/Pers/R/P&A

RBE No-107/2018
Date: 07.09.2018

सेवा मे,
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं. रे. प्र/व. मं. का. अधिकारी/मं. का. अधिकारी-खोरघारोड, बालातेरू, संबलपुर,
मु; कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व. का अधिकारी (नि) /भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

Sub: Clarification regarding *grant* of PCO allowance to staff
of Production Control Organization (JEs/SSEs)

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं E(P&A)I-2017/SP-1/WS-1
Dtd.30.07.2018 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है।

A copy of the Board's No. E(P&A)I-2017/SP-1/WS-1
Dtd.30.07.2018 on the above quoted subject is forwarded herewith for
information, guidance and necessary action.

Encl: As above,

(Gundicha Sethy)

Dy.Chief Personnel Officer(IR&W)
For Pr. Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेषित/Copy to :

- 1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
- 2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र, अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
- 3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
- 4) वकाधि(मुख्या.), वकाधि(स्टाफ), वकाधि(राज. एवं न्याया.)
- 5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि. (मुख्या.-1), सहा.कार्मिक अधि. (कल्याण),
सहा.कार्मिक अधि. (बिल), सहा.कार्मिक अधि. (भर्ती)

क्र.सं/Sl.No. RB-3590
दिनांक/Date 29/08
प्रारंभ/Initial

1902
31/8

PCPO
व.प्र.(G.M.)
दिनांक/Date 29/8

19

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

No. E(P&A)I-2017/SP-1/WS-1

RBE No. 107/2018
New Delhi, dated 30.07.2018.

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.
ECoR, Bhubaneswar

Sub: Clarification regarding grant of PCO Allowance to staff of Production Control Organization (JEs/SSEs.)


Ref. : Board's letter No. E(P&A)I-2017/SP-1/WS-1 dated 30.08.2017.

In context of Board's letter cited above, references have been received in Board's office from some of the Zonal Railways, seeking clarifications regarding entitlement of PCO Allowance of JEs/SSEs drawing pay in higher pay level (i.e. level 7, 8 and 9) under MACPS rather than the pay level available for respective post. This issue has also been raised in PNM Forum by NFIR as item No. 12/2018.

2. The matter has been examined in Board's office and it has been observed that MACPS provides for grant of Financial Upgradation to the employees on personal basis and the concerned employees continue to discharge the duties and responsibilities of the post held by them. In view of this, it is clarified that JEs /SSEs of Production Control Organisations though drawing pay in higher pay level under MACPS, are entitled for PCO Allowance at the rates prescribed for the respective post held by them with reference to their substantive basic pay drawn by the concerned JEs/SSEs in level 6 and level 7 respectively.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.


4. Please acknowledge receipt.


(N.P. Singh)
Joint Director/E(P&A)
Railway Board.

No. E(P&A)I-2017/SP-1/WS-1

New Delhi, dated 30.07.2018

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares).



for Financial Commissioner/Railways

31/8

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं.107/2018

सं. ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1

नई दिल्ली, दिनांक 30.07.2018

महाप्रबंधक और प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: उत्पादन नियंत्रण संगठन के कर्मचारियों (जेई/एसएसई) को पीसीओ भत्ता देने के संबंध में स्पष्टीकरण।


संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 30.08.2017 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)I-2017/एसपी-1/डब्ल्यूएस-1

बोर्ड के उक्त उल्लिखित पत्र के संबंध में, बोर्ड कार्यालय में कुछ क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें जेई/एसएसई से संबंधित पदों के लिए उपलब्ध पे लेवल के अलावा एमएसीपीएस के अंतर्गत उच्च पे लेवल (अर्थात लेवल 7, 8 और 9) में वेतन पाने वाले जेई/एसएसई को पीसीओ भत्ते की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मुद्दे को एनएफआईआर द्वारा मद सं. 12/2018 के तहत पीएनएम फोरम में भी उठाया गया है।

2. बोर्ड कार्यालय में इस मामले की जांच की गई है और यह देखा गया है कि एमएसीपीएस का प्रावधान व्यक्तिगत आधार पर कर्मचारियों के वित्तीय उन्नयन दिए जाने के लिए है और संबंधित कर्मचारी अपने पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करते रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि हालांकि उत्पादन नियंत्रण संगठन के जेई/एसएसई एमएसीपीएस के अंतर्गत उच्चतर पे लेवल में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, परंतु संबंधित जेई/एसएसई द्वारा क्रमशः लेवल 6 और लेवल 7 में उनके वास्तविक मूल वेतन के संबंध में उनके संबंधित पद के लिए निर्धारित दर पर पीसीओ भत्ते के पात्र हैं।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें।



(एन.पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक/ई(पी एंड ए)

रेलवे बोर्ड